

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.3(1)साप्र/2/2013 पार्ट-१

जयपुर, दिनांक ७/१/१५


—; आदेश :—

श्री सुशील कुमार शर्मा, प्रवक्ता (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग), राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 105/2009 एवं से.नि.निवृति दिनांक 31.7.2045 है के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2011 पार्ट-१ दिनांक 6.2.2012 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या ३८/८२, गांधीनगर के स्थान पर इनकी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए राजकीय आवास संख्या ३८/८१ गांधीनगर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चौंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से ८ दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल होने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशापी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नी व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्भित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अंतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से



(राजेन्द्र प्रसाद खोरानी)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आईडी संख्या एफ 13000450 दिनांक 8.1.2014 के क्रम में।
5. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रिसिपल, राजकीय महिला पोलोटेक्निक महाविद्यालय, राजस्थान, जयपुर।

7. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की विधि में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
8. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जयपुर विधि नियम लिंग गांधीनगर, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकोम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या—8 की पालना को सुनिश्चित करें कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. आवंटी अधिकारी —कृपया परिवर्तित राजकीय आवास संख्या गा/81 गांधीनगर जयपुर कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास संख्या गा/82 रिक्त कर सूचित करावें।
13. श्री सुशील कुमार शर्मा, प्रवक्ता (कम्प्यूटर इंजीनियरिंग), राजकीय महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप—5) विभाग।
15. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
16. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
17. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
18. रक्षित पत्रावली।

Shri Jagdish Chandra Singh
विधिवाली उप सचिव